Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ अलवर में श्री अली हसन सहायक कृषि अधिकारी,(एएओ) कार्यालय कृषि विभाग गोविन्दगढ 3,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 13 जून, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर–प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी (एएओ) कार्यालय कृषि विभाग गोविन्दगढ को **3,000/– रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर–प्रथम को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा उसकी पत्नी के नाम से ग्राम बारोली में खाद बीज व दवाईयों की दुकान लाईसेन्सशुदा थी परिवादी द्वारा वर्ष 2024 में उक्त खाद, बीज के कार्य के लिये कस्बा गोविन्दगढ में दुकान किराये पर लेकर काम शुरू किया गया तथा परिवादी द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर खाद, बीज व दवाई के लाईसेन्स का स्थान परिवर्तन के लिये दिनांक 31.12.2024 को ऑनलाईन आवेदन करने पर उक्त दुकान का कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण कर लाईसेन्स में स्थान परिवर्तन करने के लिए परिवादी से 1000/– रूपये रिश्वत लेकर बीज के लाईसेन्स में स्थान पिरवर्तन कर दिया गया। तथा खाद व दवाई के लाईसेन्स के लिये फिजीकल वेरीफिकेशन कर ऑनलाईन स्थान परिवर्तन के लिए स्वंय एवं उच्चाधिकारियों के नाम से 5,000/– रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाये जाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में 1,000/– रूपये प्राप्त करने तथा 3,000/– रूपये की रिश्वत राशि मांग करना स्पष्ट पाया गया। उक्त मांग के क्रम में दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी(एएओ) को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जिस पर एसीबी रेंज जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी** के सुपरविजन में एसीबी चौकी अलवर–प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार** टीएलओ द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री अली हसन, सहायक कृषि अधिकारी (एएओ) को परिवादी से 3,000/– रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपीगणो से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।